

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गीता देवी बनाम नारायण वगैरह
किस्म मुकदमा- 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 201/2025 (दूदू)

नोटिस
ख्याती
30/5/25

| | | |
|-------------------|---|---|
| | <p>श्री दीपक पारीक</p> | |
| <p>24.04.2025</p> | <p>गीता बनाम नारायण वगैरह (2025/201)</p> <p>यह अपील श्री दीपक पारीक एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 240/2023 पुनः दर्ज 72/2023 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई, अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। अभिभाषक अपीलांत को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।</p> <p>अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई वहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति, अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हम अंतरिम स्थगन आदेश निर्णित करने से रेस्पोजेन्ट को सुनना एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करना न्यायहित में उचित समझते हैं।</p> <p>अतः रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 04 को नोटिस जारी किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.06.2025 को पेश हो।</p> <p>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p> | <p>निकाला नोटिस 2-2-24 9/5-14 उज्ज्वल</p> |
| <p>30.5.25</p> | <p>पह पत्रावली अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्राप्त पत्रावली आज ही तलब कर नोटिस किये जाने हेतु पेश किये जाने से तलब की गई। अभिभाषक अपीलांत ने विवेक किया कि उपरोक्त अवधि प्रकरण को अपीलांत प्राप्ती चलाया चाले है इसलिए पत्रावली को नोटिस से खारिज किये जाने के संबंध प्रदान करावे।</p> <p>अतः अभिभाषक अपीलांत के विवेक पर अपील को प्राप्ती चलाये जाने के कारण जरूरी नोटिस खारिज की जाती है पत्रावली फैसल सुनाए होकर नम्बर से कम है।</p> <p>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p> | |



503
श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल
श्री जयलक्ष्मी देवी
श्री जयलक्ष्मी देवी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील / टी0ए0 / संख्या 201 / 2025 जिला जयपुर

2025 | 2025

श्री
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

24/4/25

गीता देवी पत्नि जवाहर लाल पुत्री श्री नारायण जाति जाट निवासी गंगातिकलां हाल
निवासी गणेशपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।

अपीलांत

बनाम

1. श्री नारायण पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी गंगातिकलां तहसील
मौजमाबाद जिला जयपुर दौराने वाद मृतक ।
2. रामकिशन श्री नारायण जाट निवासी गंगातिकलां तहसील मौजमाबाद जिला
जयपुर ।
3. सीतादेवी पत्नि श्री नारायण जाट निवासी गंगातिकलां तहसील मौजमाबाद
जिला जयपुर ।
4. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद निर्णय सहायक
कलक्टर महोदय दूदू दिनांक 24.02.2025 प्रकरण संख्या 240/2023 पुनः दर्ज 72/2023
उनवानी गीता बनाम नारायण मे पारित किया गया ।

मान्यवर,

श्री प्रदीप